मुकर्रम अली खान

बनाम

उत्तर प्रदेश और अन्य का राज्य।

13 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1999-धारा 4-कानूनी कार्यवाही संसाधन भूमि से संबंधित कार्यवाही-अधिशेष भूमि का कब्जा अधिनियम-1976 के तहत प्राधिकरणों के आदेशों के अनुसार राज्य द्वारा नहीं ली गई भूमि को अधिनियम 1976 विलोपित के स्थान पर 1999 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया। 1999 के अधिनियम को उत्तरप्रदेश राज्य में लागू अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया गया, जिसका प्रभावः 1976 के अधिनियम के तहत कार्यवाही को 1999 के अधिनियम-शहरी भूमि सीमा विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 4 के तहत समाप्त माना जाता है।

अपीलीय प्राधिकरण ने शहरी भूमि सीमा विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत एक आदेश पारित किया। पीड़ित अपीलार्थी ने उसी आधार पर चुनौती दी कि मुद्दों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले के आदेश द्वारा समाप्त किया गया था। अपीलार्थी ने आपत्ति में उक्त बिंदु को लिया और रिट याचिका में इसका उल्लेख किया, लेकिन यह इंगित नहीं किया कि अपीलीय प्राधिकारी ने इस पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उक्त बिंदु का आग्रह किया गया था और अपीलीय प्राधिकरण ने इसकी अनदेखी की थी, अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए, वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 . शहरी भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम, 1976 को शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1999 के तहत विलोपित कर प्रतिस्थापित किया गया है। स्वीकारोक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 252 (2) के तहत एक प्रस्ताव द्वारा निरसन अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया है। निरसन अधिनियम तब से उत्तर प्रदेश राज्य में 18.3.1999 से लागू हो गया है। [पैरा 4] [341-जी; 342-ए।

1.2 अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र, जिस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, को ध्यान में रखते हुए निर्विवाद स्थिति यह है कि राज्य ने अधिशेष भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया। इसलिए, निरसन अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही को समाप्त माना जाना चाहिए। | पैरा 6] [342-सी, डी] 340

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2001 की सिविल अपील सं. 632

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दीवानी विविध रिट याचिका संख्या 1987 की 6240 के 30.07.1997 दिनांकित निर्णय और आदेश से

अपीलार्थी की अेार से एम. सी. ढींगरा।

राज की अेार से के.आर. गुप्ता, राजीव दुबे और कमलेंद्र मिश्रा। प्रत्यर्थीगण

न्यायालय की अेार से यह निर्णय दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. इस अपील में चुनौती दी गयी कि विद्वान एकल न्यायाधीश खण्ड इलाहबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी विविध याचिका संख्या 6240 सन 1987 पेश की। अपीलार्थी ने अपीलेट प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12\12\1986 को चुनौती अन्तर्गत अधिनियम (शहरी भूमि अधिकतम सीमा विनियमन 1976 संक्षेप में यू.एल.सी.(विविध) में जरिये अपील संख्या 241\1985 में इस आधार पर दी गयी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 6 के अन्तर्गत तैयार बयान मसौदा के संबंध में पूर्व में अपील में विवादित आदेश पारित हो चुके हैं। हालांकि इस बिंदू को आपत्ति में लिया गया था अैार रिट याचिका में इसका उल्लेख किया गया, लेकिन यह उल्लेख नहीं है कि अपीलीय प्राधिकरण ने इस पर विचार नहीं किया था। इस तरह के किसी भी अभिकथन के अभाव में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि इस मुद्दे का आग्रह किया गया था और अपीलीय प्राधिकरण ने इसकी अनदेखी की थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

2. हालाँकि अपील के समर्थन में कई बिंदुओं का आग्रह किया गया था, जिसमें प्राथमिक बिन्दू मुद्दा यह था कि अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कब्जा नहीं लिया गया है। इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है जो दर्शाता है कि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और विचाराधीन भूमि अपीलार्थी और उसके बेटों के कब्जे में बनी हुई है।

3. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील-राज्य और उसके पदाधिकारी उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व निर्णय के संबंध में अपने बिंदु में आग्रह नहीं किया है, इसलिए उच्च न्यायालय ने सही निर्णय लिया है कि किसी विशिष्ट याचिका के अभाव में उसके समक्ष एक नई याचिका नहीं ली जा सकती है।

4. यह विचारार्थ किये जाने योग्य है कि इस अधिनियम को शहरी भूमि के (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1999 (संक्षेप में 'निरसन अधिनियम') में बदल दिया है। स्वीकारोक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य ने तब से निरसन अधिनियम के प्रावधानों को अपनाया है। भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 252 (2) के तहत निरसन अधिनियम तब से लागू हो गया है। अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में 18.3.1999 से प्रभावी है।

5. निरसन अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार हैः

"4. कानूनी प्रक्रिया में संशोधन सभी कार्यवाही मूल अधिनियम के तहत की गयी या किया जाने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले किसी न्यायालय में लम्बित इस अधिनियम के प्रभाव में आने से अन्य न्यायालय या प्राधिकरण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

अपवाद-जहां तक मूल अधिनियम की धारा 11,12,13 और 14 का संबंध है, ऐसी कार्यवाहियाँ उस भूमि से संबंधित हैं, जिसका अवाप्ति राज्य सरकार या विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गयी हो अथवा राज्य सरकार द्वारा इस ओर से या सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी हो लागू नहीं होंगे।"

6. अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्र को ध्यान में रखते हुए, जिस पर कोई आपत्ति नहीं है। निर्विवाद स्थिति यह है कि राज्य ने अधिशेष भूमि पर कब्जा नहीं किया है। इसलिए, निरसन अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही को समाप्त माना जाना चाहिए।

7. अपील उपरोक्त निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संतोष कुमार मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।